झारखण्ड सरकार

उपायुक्त का कार्यालय (सामाजिक सुरक्षा कोषांग), गिरिडीह (झारखंड)

अति. अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

वस्त्र वितरण योजना अन्तर्गत गिरिडीह जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा निर्धन, अंपग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय वृद्ध, वृद्धा एवं भिक्षुकों के बीच वर्ष 2016–17 में मुफ्त कम्बल वितरण हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता से मुहरबंद अति अल्प कालीन निविदा आमंत्रित करने हेतु शर्त्तें :–

1. निविदा दिनांक 20.02.17 के 12 बजे अपराह्न तक गिरिडीह समाहरणालय सामाजिक सुरक्षा कोषांग में उपलब्ध निविदा पेटी में डाला जायेगा एवं दिनांक 20.2.17 के 3.00 बजे अपराह्न में निविदाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा किसी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा निविदा खोलकर इस पर निर्णय लिया जायेगा।
2. निविदादाताओं को निविदा को मुहरबंद लिफाफे में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, गिरिडीह के पदनाम से 75,000/– (पचहत्तर हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लिफाफा अलग– अलग सीलबंद करके पुनः एक लिफाफा में रखकर देना होगा। तकनीकी निविदा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। लिफाफा का पद्धति को पूरा न करने वाले निविदादाता की निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
4. तकनीकी निविदा लिफाफा में निविदादाता को वित्तीय की अद्यतन आयकर रिटर्न, फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र, की छाया प्रति संलग्न करनी होगी एवं किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करना होगा। निविदा में कम्बल का वजन न्यूनतम 2.00(दो) किलोग्राम होना अनिवार्य होगा। कम्बल का साईज 90''x 60'' होगा तथा प्रति अद्द का निर्धारित मूल्य 300/– (तीन सौ)रूपये से अधिक नहीं होगी।
5. आपूर्तिकर्त्ता को सभी कम्बलों में झारखण्ड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगवाना अनिवार्य होगा।
6. निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरांत जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्त्तों का उल्लघंन करने पर स्वीकृत निविदा को निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. वित्तीय निविदा लिफाफा में निविदादाता द्वारा मात्र एक ही दर देना है तथा निविदा खोलने के समय उत्कृष्ट नमूना प्रस्तूत करना अनिवार्य है। जिसको क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।
8. उत्कृष्ट ब्रांड का कम्बल का निविदा यदि सस्ती दर पर अंकित होगा तो उसको प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकता अनुसार कार्यहित में एक से ज्यादा नमूना स्वीकृत करते हुए एक से ज्यादा आपूर्तिकत्ताओं के बीच कार्यादेश निर्गत किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. कम्बलों की आपूर्ति गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में करनी होगी। जिसके लिए कोई अन्य शुल्क/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
10. कम्बल की आपूर्ति चयनित नमूना एवं गुणवता के अनुरूप करना होगा। विभेद पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर बदलना होगा।
11. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति करना होगा एवं निश्चित समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

09/02/17

उपायुक्त,
गिरिडीह।